राजस्व आवेदन संख्या 324 / 2024
महेन्द्रसिंह बनाम अली खां वगैरा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू-अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:- अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :- 324 / 2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2024 / 520

प्रार्थीगण बनाम विप्रार्थीगण

प्रार्थीगण

1.महेन्द्र सिंह पुत्र अमर सिंह
जाति राजपूत
2.गनी खां पुत्र कादर खां
3.शेरू खां पुत्र कादर खां
4.पियाबानो पत्नी हबीबखां
जाति मुसलमान
निवासी सिंधियो की ढाणी,पटाउ खुर्द तहसील कल्याणपुर व जिला बालोतरा

विप्रार्थीगण

1.अलीखां पुत्र जले खां
2.इन्द्रसिंह पुत्र कल्याणसिंह
3.कवरीदेवी पत्नी मेगसिंह
4.खीमसिंह पुत्र मेगसिंह
5.गुमानसिंह पुत्र कल्याणसिंह
6.जोगेन्द्र पुत्र मेगसिंह
7.तुलसासिंह पुत्र कल्याणसिंह
8.भीखसिंह पुत्र मेगसिंह
9.हड़मानसिंह पुत्र कल्याणसिंह
10.ओमा पुत्री हड़मानसिंह
11.गुमानसिंह पुत्र किस्तुरसिंह
12.दिलीप सिंह पुत्र हनुमानसिंह
13.पुखराज पुत्र हनुमानसिंह
14.पपुकंवर पुत्री किस्तुरसिंह
15.भागीरथसिंह पुत्र भंवरसिंह
16.ममता पुत्री हड़मानसिंह
17.मांगी पत्नी हड़मानसिंह
18.रेखा पुत्री हड़मानसिंह
19.मानसिंह पुत्र हीरसिंह
20.राणसिंह पुत्र हीरसिंह
21.विक्रमसिंह पुत्र भंवरसिंह
22.विमला कंवर पुत्री किस्तुर सिंह
23.शैतानसिंह पुत्र किस्तुरसिंह
जाति राजपुरोहित निवासी पटाउ खुर्द तहसील कल्याणपुर व जिला बालोतरा
24.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, कल्याणपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

राजस्व आवेदन संख्या 324/2024
महेन्द्रसिंह बनाम अली खां वगैरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति–

1.श्री रूगाराम कड़वासरा अधिवक्ता प्रार्थीगण

2.विप्रार्थीगण एकपक्षीय

आदेश

दिनांक 30/6/2025

1.संक्षिप्त में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि ग्राम पटाउ खुर्द पटवार हल्का पटाउ कला तहसील कल्याणपुर मे प्रार्थी संख्या 01 का खसरा संख्या 516/494 क्षेत्रफल 0.0931 हैक्टेयर, प्रार्थी संख्या 02 का खसरा संख्या 524/497 क्षेत्रफल 0.2044 हैक्टेयर, प्रार्थी संख्या 03 का खेत खसरा संख्या 519/496 क्षेत्रफल 0.2804 हैक्टेयर व प्रार्थी संख्या 04 का खेत खसरा संख्या 522/495 क्षेत्रफल 0.3500 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा ग्राम पटाउ खुर्द पटवार हल्का पटाउ कला तहसील कल्याणपुर मे प्रार्थी संख्या 01 का खसरा संख्या 516/494 क्षेत्रफल 0.0931 हैक्टेयर, प्रार्थी संख्या 02 का खसरा संख्या 524/497 क्षेत्रफल 0.2044 हैक्टेयर, प्रार्थी संख्या 03 का खेत खसरा संख्या 519/496 क्षेत्रफल 0.2804 हैक्टेयर व प्रार्थी संख्या 04 का खेत खसरा संख्या 522/495 क्षेत्रफल 0.3500 हैक्टेयर भूमि की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया है।

2.प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिए रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण विप्रार्थी के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.हमने प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि ग्राम पटाउ खुर्द पटवार हल्का पटाउ कला तहसील कल्याणपुर मे प्रार्थी संख्या 01 का खसरा संख्या 516/494 क्षेत्रफल 0.0931 हैक्टेयर, प्रार्थी संख्या 02 का खसरा संख्या 524/497 क्षेत्रफल 0.2044 हैक्टेयर, प्रार्थी संख्या 03 का खेत खसरा संख्या 519/496 क्षेत्रफल 0. 2804 हैक्टेयर व प्रार्थी संख्या 04 का खेत खसरा संख्या 522/495 क्षेत्रफल 0.3500 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थी की भूमि आई हुई है,वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है तथा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। विप्रार्थी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

झगड़ालू प्रवृति का होने के कारण आये दिन प्रार्थीगण को उसकी खातेदारी भूमि की सीमाओं को लेकर विवाद करते रहते है। प्रार्थीगण द्वारा विप्रार्थी को मना करने के उपरांत भी विप्रार्थी प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में दखलवान्जी करने में बाज नहीं आ रहे है। अंत में निवेदन किया कि ग्राम पटाउ खुर्द पटवार हल्का पटाउ कला तहसील कल्याणपुर मे प्रार्थी संख्या 01 का खसरा संख्या 516/494 क्षेत्रफल 0.0931 हैक्टेयर, प्रार्थी संख्या 02 का खसरा संख्या 524/497 क्षेत्रफल 0.2044 हैक्टेयर, प्रार्थी संख्या 03 का खेत खसरा संख्या 519/496 क्षेत्रफल 0.2804 हैक्टेयर व प्रार्थी संख्या 04 का खेत खसरा संख्या 522/495 क्षेत्रफल 0.3500 हैक्टेयर भूमि की नेखमबन्दी के आदेश फरमावे जावे।

4.हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड,दस्तावेजात एवं सीमाज्ञान रिपोर्ट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि ग्राम पटाऊ खुर्द पटवार हल्का पटाऊ कला तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 516/494 क्षेत्रफल 0.0931 हैक्टेयर किस्म वाणिज्य ढाबा प्रयोजनार्थ प्रार्थी संख्या 01 की खातेदारी,खसरा संख्या 524/497 क्षेत्रफल 0.2044 हैक्टेयर किस्म वाणिज्यिक (ढाबा) प्रार्थी संख्या 02 की खातेदारी,खसरा संख्या 519/496 क्षेत्रफल 0.2804 हैक्टेयर व खसरा संख्या 522/495 क्षेत्रफल 0.3500 हैक्टेयर किस्म वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ (ढाबा) प्रार्थीनी संख्या 04 की खातेदारी मे दर्ज है तथा खसरा संख्या 519/496 क्षेत्रफल 0.2804 हैक्टयर किस्म बा. अव्वल प्रार्थी संख्या 03 की खातेदारी मे दर्ज है। इस प्रकार खसरा संख्या 516/494,522/495 व 524/497 की किस्म कृषि भूमि नही होने के कारण न्यायालय हाजा से नेखमबंदी किए जाने के हकदार नही है। खसरा संख्या 519/496 की किस्म कृषि भूमि होने के कारण नेखमबंदी कार्यवाही करवाने के लिए स्वतंत्र है,जिसका प्रार्थी प्रथम द्रष्यता हकदार प्रतीत होता है। हस्तगत प्रकरण के निस्तारण के लिए हम यहां धारा 128 आर.एल.आर. उल्लेख करना उचित समझते है,जिसके अनुसार :–**धारा 128 सीमा विवाद**–सम्बन्धी समस्त विवाद भू–अभिलेख अधिकारी द्वारा धारा 111 में निर्धारित रीति से तय किए जायेगें:

1.(परन्तु खेतो के सीमाओं सम्बन्धी आवेदन–पत्र,जहां यधपि ऐसी सीमा के विषय मे कोई विवाद विधमान नहीं हो किन्तु सही सीमा चिन्हों के अभाव में ऐसी विवाद उठानें की सम्भावना हो तो तहसीलदार को ही पेश किए जायेगें तथा उसी के द्वारा निपटाये जायेगें)

उक्त प्रावधान से स्पष्ट है,कि सीमाओं में विवाद की स्थिति होने पर विवादो का निपटारा न्यायालय हाजा के स्तर से किया जाना है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 04.5.2023 मे विवादित आराजी खसरा संख्या 519/496 की सीमाज्ञान कार्यवाही किए जाने का उल्लेख नही है। ऐसी स्थिति में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128(1) के अनुसरण में निर्विवाद मामलो को तहसीलदार द्वारा निपटाया जाना है,अतः हस्तगत प्रकरण में हम प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि के सीमाज्ञान बाबत् तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना–पत्र/आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करना उचित समझते हैं।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

5.उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पंहुचा है,कि विवादित आराजी खसरा संख्या 516/494,522/495 व 524/497 भूमि की किस्म वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ (ढाबा) होने के कारण न्यायालय हाजा मे सुनवाई योग्य नही है तथा खसरा संख्या 519/496 के खातेदारान अपनी खातेदारी भूमि की पैमाईश करवानें का हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन आशिंक स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

–:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः आवेदन–पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 आशिंक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम पटाऊ खुर्द तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 519/496 क्षेत्रफल 0.2804 हैक्टेयर भूमि की पैमाईश करने हेतु एक राजस्व टीम का गठन कर मुस्तकिल बिन्दु से विवादित आराजी की सीमाओं का चिन्हिकरण करते हुए विधिनुसार पैमाईश कार्रवाई करने हेतु तहसीलदार कल्याणपुर को निर्देशित किया जाता है।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 30/6/2025 लिखा जाकर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा
30/06/2025